पत्रांकः–3प / SQM-DQM–19–01 / 2023 / 591(स्पी) / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द्र पटेल पथ,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 13 / 10 / 2026

विषयः– **पंचायती राज विभाग अंतर्गत संविदा के आधार पर जिला क्वालिटी मॉनिटर (DQM) के तकनीकी पदों पर नियोजित पदाधिकारी के वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 के बकाया मानदेय सहित वित्तीय वर्ष 2026–27 के मानदेय भुगतान हेतु भुगतेय राशि कुल ₹ 34,57,968.00 (चौतीस लाख सतावन हजार नौ सौ अड़सठ रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

प्रसंगः– **विभागीय संकल्प संख्या–4864 दिनांक–05.09.2018, विभागीय आदेश संख्या–280 दिनांक–28.09.2022 एवं वि०आ०सं०–08, दिनांक–11.01.2023, कार्यालय जिला परिषद, सुपौल का पत्रांक–617, दिनांक–29.07.2026, किशनगंज का पत्रांक–546, दिनांक–04.07.2026, खगड़िया का पत्रांक–509, दिनांक–17.07.2026, पटना का पत्रांक–707, दिनांक–07.07.2026, शेखपुरा का पत्रांक–426, दिनांक–03.06.2026, बाँका का पत्रांक–113, दिनांक–11.03.2026 एवं कैमूर का पत्रांक–308, दिनांक–18.09.2026**

आदेशः– **स्वीकृत।**

2. पंचायती राज विभाग के अधीन विभिन्न योजनाओं के संचालन एवं प्रबंधन हेतु जिला स्तरीय इकाई के लिए संविदा आधारित सेवानिवृत तकनीकी पदों पर नियोजित जिला क्वालिटी मॉनिटर (DQM) के वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 के बकाया मानदेय सहित वित्तीय वर्ष 2026–27 के मानदेय राशि का भुगतान किया जाना है। इनके मानदेय का भुगतान हेतु कार्यालय जिला परिषद, सुपौल, किशनगज, खगड़िया एव पटना से प्राप्त अधियाचना के आलोक में कुल **₹ 34,57,968.00 (चौतीस लाख सतावन हजार नौ सौ अड़सठ रूपये)** मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती हैः–

क्र० सं०	जिला का नाम	कार्यालय, जिला परिषद से प्राप्त पत्र की संख्या एवं तिथि	अधियाचित राशि	कुल स्वीकृत राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	सुपौल	पत्रांक–617, दिनांक–29.07.2026	6,50,287.00	6,50,055.00
2.	किशनगंज	ज्ञापांक–546, दिनांक–04.07.2026	6,28,043.00	4,92,930.00
3.	खगड़िया	पत्रांक–509, दिनांक–17.07.2026	14,43,718.00	14,34,162.00
4.	पटना	पत्रांक–707, दिनांक–07.07.2026	1,49,214.00	1,49,214.00
5.	शेखपुरा	पत्रांक–426, दिनांक–03.06.2026	70,932.00	70,932.00
6.	बाँका	पत्रांक–113, दिनांक–11.03.2026	1,41,116.00	1,41,116.00
7.	कैमूर	पत्रांक–308, दिनांक–18.09.2026	—	5,19,559.00
				कुल–34,57,968.00
				(चौतीस लाख सतावन हजार नौ सौ अड़सठ रूपये)

3. इस स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198 ग्राम पंचायतों को सहायता–उप शीर्ष–0113–मुख्यमंत्री निश्चय योजना मद के विषय शीर्ष–0113.31.04–सहायक अनुदान–वेतन" से वित्तीय वर्ष 2026–27 में की जायेगी। इसकी माँग संख्या–16 एवं विपत्र कोड संख्या–16–2515001980113 है।

4. इस स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद होंगे, जिनके द्वारा जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से, बिहार कोषागार संहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जाएगी।

5. विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–371, दिनांक–15.12.2022 के आलोक में DQM के मानदेय का भुगतान संबंधित जिला के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद द्वारा अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000, दिनांक–10.07.2015 में अंकित प्रावधान के आलोक में की जाएगी।

6. इस राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा, जिसके आधार पर राशि की निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि के व्ययोपरांत नियमानुसार व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करायेंगे। सभी कर्मियों को निर्धारित मानदेय अनुमान्य दर पर नियमानुसार भुगतान एवं आवश्यक कटौती करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। किसी भी प्रकार के गलत भुगतान के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

7. वित्त विभाग के पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2017 के आलोक में राशि के निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. इस स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है।

9. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–**3प/SQM-DQM/–19–01/2023** के टिप्पणी पृष्ठ संख्या–...113.../टि० पर दिनांक–30.09.26. को प्राप्त है।

10. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर स्वीकृति प्राधिकार, सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–**3प/SQM-DQM/–19–01/2023** के टिप्पणी पृष्ठ संख्या– 114...../टि० पर दिनांक–06.10.26 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

नजर हुसैन 6/10/26

विशेष सचिव

B Sig

लगातार.

ज्ञापांकः— 3प/SQM-DQM/—19—01/2023/59(स्वी०)/पं०रा० पटना,दिनांक—13/10/2026

प्रतिलिपिः— जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, सुपौल, किशनगंज, खगड़िया, पटना, शेखपुरा एवं बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः— 3प/SQM-DQM/—19—01/2023/59(स्वी०)/पं०रा०पटना, दिनांक—13/10/2026

प्रतिलिपिः— जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल, किशनगंज, खगड़िया, पटना, शेखपुरा एवं बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः— 3प/SQM-DQM/—19—01/2023/59(स्वी०)/पं०रा०पटना, दिनांक—13/10/2026

प्रतिलिपिः— जिला पदाधिकारी/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सुपौल, किशनगंज, खगड़िया, पटना, शेखपुरा एवं बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः— 3प/SQM-DQM—19—01/2023/59(स्वी०)/पं०रा० पटना,दिनांक—13/10/2026

प्रतिलिपिः— प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—05/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर को निदेश है कि स्वीकृत्यादेश की प्रति विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधितो को ई—मेल के माध्यम से सूचित करेंगे।

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव